

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़

स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.  
संख्या :- 259/2023

1. राजेन्द्र पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।



बनाम

-- वादी

2. सुभाष पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. महावीर पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. रमेश पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. कृष्णा पुत्री मनफूल पत्नी राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी रायपुर रुपवास तहसील व

जिला सिरसा।

6. अमरावती पुत्री मनफूल पत्नी गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चाईया, तहसील  
रावतसर जिला हनुमानगढ़।

7. सिलोचना पुत्री मनफूल पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 10, डबलीकलां  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 30.11.2024

वादी की ओर से श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री महावीर वर्मा



अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये

पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित मनफूल के नाम से चक नम्बर 9 आर.डब्ल्यू.डी. जमाबन्दी सम्बत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/30 में अंकित 2.024 हेक्टर आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 9 आर.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 41/30 में से मनफूल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
हपखण्ड सहायक सहायक कलेक्टर  
पट्टेन महायक कलेक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
प्रतिवादी पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
दशों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		---